राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 1(16)ग्रावि/नरेगा/वाकायो /2013 जयपुर, दिनांक : 19/11/2014

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त राजस्थान।

विषयः– **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत वार्षिक कार्य योजना एवं श्रम बजट 2015–16 के संबन्ध में।**

संदर्भः– **विभागीय समसंख्यक पत्रांक दिनांक 16.07.2014, 25.07.2014 एवं 29.10.2014**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा अवगत कराया जा चुका है कि वार्षिक कार्य योजना एवं श्रम बजट का कार्य एक समयबद्व कार्यक्रम है एवं तद्नुसार ही समय पर कार्य किया जाना अनिवार्य है ताकि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को समय पर श्रम बजट प्रस्तुत किया जा सके। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जा चुका है कि इस वर्ष राज्य में **पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव होने के कारण उक्त कार्यवाही 01 दिसम्बर, 2014 तक आवश्यक रूप से पूर्ण** कर ली जावे।

वार्षिक कार्य योजना एवं श्रम बजट 2015–16 के निर्माण की प्रगति की समीक्षा किये जाने पर **कुछ जिलों द्वारा अवगत कराया गया है कि विकास अधिकारी सह कार्यक्रम अधिकारी के भामाशाह योजना के शिविरों में व्यस्त होने के कारण उक्त के अनुमोदन की कार्यवाही में विलम्ब** हो रहा है।

इस संबन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि **भामाशाह योजना की समयबद्व एवं सुचारू प्रकिया के साथ ही महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत वार्षिक कार्य योजना एवं श्रम बजट 2015–16 के अनुमोदन की कार्यवाही भी समय पर आवश्यक रूप से पूर्ण की जावे एवं यह सुनिश्चित किया जावे कि जिला परिषद से अनुमोदन की कार्यवाही दिनांक 01.12.2014 तक आवश्यक रूप से पूर्ण कर ली जावे ताकि पंचायतीराज संस्थाओं के चुनावों की आदर्श आचार संहिता के प्रभावी होने से पूर्व यह कार्यवाही सम्पादित** की जा सके।

भवदीय

19/11/14
(राजीव सिंह ठाकुर)
आयुक्त, ईजीएस एवं सचिव ग्रामीण विकास

प्रतिलिपिः

1. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गांधी नरेगा तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
2. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी नरेगा, जयपुर/बाडमेर।
3. रक्षित पत्रावली।

परि.निदे.एवं उप सचिव, ईजीएस